

राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर।

क्रमांक :- लेखा/ऑडिट/आर.टी.पी.पी./2026/7983-92


दिनांक : 23/4/26

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार ने राज्य में खरीद प्रणाली (माल एवं सेवा) को सुदृढ एवं सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल (SHPP) विकसित किया गया है, जिसके प्रथम चरण में निम्नलिखित खरीद विधियों के अंतर्गत e-procurement प्रणाली अब संचालित (operational) हो चुकी हैं :-

- 1- Request for Quotation
- 2- Limited Bidding
- 3- Procurement from Notified Agencies
- 4- Vehicle on Hire

अतः राजस्थान सरकार के वित्त (वित्तीय नियम - एस.पी.एफ.सी.) विभाग के परिपत्र संख्या F.3 (2) FD/SPFC/SPPP/SHPP/2024 दिनांक 16.03.2026 (प्रति संलग्न) की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।


(मंजू चौधरी)


वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

दिनांक : 23/4/26

क्रमांक :- लेखा/ऑडिट/आर.टी.पी.पी./2026/7983-92.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, कुलगुरु, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त उप-कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. विश्वविद्यालय अभियन्ता, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, वि.वि. शैक्षणिक/अशैक्षणिक विभाग, राज. वि.वि., जयपुर।
7. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राज. वि.वि., जयपुर।
8. समस्त निदेशक, वि.वि. केन्द्र/पी.जी. स्कूल्स इत्यादि, राज. वि.वि., जयपुर।
9. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।


उप-कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त) 27/4/26

F.3(2)FD/SPFC/SPPP/SHPP/2024

Date: 16/3/2026

परिपत्र

राजस्थान सरकार ने राज्य में सार्वजनिक खरीद प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) विकसित किया जा रहा है।

SHPP के प्रथम चरण में निम्नलिखित खरीद विधियों के अंतर्गत e-procurement प्रणाली अब संचालित (Operational) हो चुकी है-

1. रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन (RFQ)
2. सीमित निविदा (Limited Bidding)
3. अधिसूचित एजेंसियों से खरीद (Procurement from Notified Agencies)
4. वाहन किराये पर लेना (Vehicle on Hire)


सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित खरीद विधियों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से SHPP के माध्यम से खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

सभी विभागाध्यक्षों (HODs) का यह कर्तव्य एवं दायित्व होगा कि वे संबंधित सभी अधिकारियों - जिनमें प्रभारी अधिकारी, लेखा अधिकारी, भंडार प्रभारी अधिकारी तथा खरीद एवं भंडार प्रबंधन से जुड़े अन्य सभी अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं - को आवश्यक निर्देश जारी करें कि वे सभी खरीद संबंधी गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से SHPP पोर्टल के माध्यम से ही संपादित करें।

SHPP पोर्टल को shpp.rajasthan.gov.in अथवा उपयोगकर्ताओं के संबंधित SSO IDs के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए श्री नाथू राम ढाका (CAO), SPFC मोबाइल नं.9783165351 अथवा ई-मेल cao.spfc@rajasthan.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।


16/03/26
(राजन विशाल)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग